THE RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE BANK LTD.

दि राजस्थान स्टेट को–ऑप0 बैंक लि.,

D.C.-1 Lal Kothi Shopping Centre, Tonk Road Jaipur – 302 015

परिपालन अनुभाग

फैक्स नं0 2744787

नं0आरएससीबी/परि0/अल्प0/फा. 92/2022–23/ 1517 दिनांक: 16.05.2022

प्रबन्ध निदेशक
केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0
समस्त

विषयः– खरीफ, 2021 फसली ऋण वितरण की अन्तिम तिथी बढाने बाबत।

प्रसंगः– सहकारिता विभाग, राजस्थान सरकार का पत्र कमांक प.17(10)सह /2019 दिनांक 11.05.2022

महोदय,

विषयान्तर्गत केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा पैक्स/लैम्पस के माध्यम से खरीफ, 2021 में वितरित अल्पकालीन फसली ऋणों की अदायगी हेतु देय तिथि 31.03.2022 निर्धारित है। राज्य सरकार द्वारा प्रासंगिक पत्र के माध्यम से प्रदत्त स्वीकृति के कम में उक्त देय तिथि को ऋण वितरण से 12 माह अथवा 30 जून, 2022 जो भी पहले हो, निम्न शर्तो के साथ किया किया जाता हैः–

1. इस हेतु 31 मार्च, 2022 तक की ब्याज भुगतान की राशि का समायोजन वर्ष 2021–22 में प्रावधित राशि के विरूद्ध किया जावेगा।
2. इस हेतु विस्तारित अवधि 1 अप्रेल से 30 जून, 2022 तक की ब्याज अनुदान भुगतान की राशि का समायोजन वर्ष 2022–23 में प्रावधित बजट प्रावधान के विरूद्ध किया जावेगा।
3. अल्पकालीन फसली ऋण हेतु नाबार्ड द्वारा जारी दिशा–निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जावें, ताकि नाबार्ड द्वारा पुनर्वित्त प्राप्त किये जाने पर किसी प्रकार का विपरीत प्रभाव/कठिनाई नहीं हो।

भवदीय,

(बृजेन्द्र राजोरिया)
प्रबन्ध निदेशक